न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टीए/11694/2003/बारां

भंवरलाल उर्फ भंवरया पुत्र कालू – मृतक (कायममुकाम)
1/1. मु0 दोलीबाई बेवा भंवरलाल
1/2. नन्दराम
1/3. प्रेमबाई
1/4. केसरबाई
1/5. दरयाबाई
–पिसरान भंवरलाल
1/6. प्यारजी पुत्र भंवरलाल
–सभी जाति गूर्जर निवासीगण ग्राम कोटडी तहसील छीपा बडौद जिला बारां।

................अपीलांट्स/प्रतिवादीगण

बनाम

1. छोट्या पुत्र कालू – मृतक (कायममुकाम)
1/1. मु0 सरदारबाई बेवा छोट्या
1/2. रामसिंह
1/3. ईसरलाल
–पुत्रगण छोट्या
1/4. भूरालाल
1/5. कंचनबाई
1/6. लछमाबाई
1/7. शैतानबाई
–पुत्रियां छोट्या
–सभी जाति गूर्जर निवासीगण ग्राम कोटडी तहसील छीपा बडौद जिला बारां।
2. राजस्थान सरकार।

.............रेस्पोन्डेन्ट्स/वादीगण

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री राम निवास जाट, सदस्य

उपस्थितः–

श्री राजेश गौतम, अधिवक्ता अपीलांट्स
श्री एस.के.शर्मा, अधिवक्ता, रेस्पोडेंट्स

निर्णय

दिनांकः– 05–11–2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील सं. 631/1994 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10–04–1997 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय सहायक जिला कलक्टर अटरू के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 छोट्या/वादी ने एक वाद अन्तर्गत अधिनियम की धारा 88, 53, 188 व 92–ए बाबत ग्राम कोटडी तहसील छीपा बडौद स्थित वाद पत्र में संलिप्त विवादित आराजियात रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया। उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे तथा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा चाराजोही नहीं करना चाहा। उक्त क्रम में विचारण न्यायालय ने आदेशिका दिनांक 18–11–1991 से प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही संस्थित कर दी। उक्त एकपक्षीय को अपास्त करने बाबत प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सीपीसी पेश होने पर न्यायालय ने स्वीकार किया। कालान्तर में विचारण न्यायालय की कार्यवाही में दिनांक 12–1–1993 को पुनः प्रतिवादी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही संस्थित कर दी गई। इसके बाद विचारण न्यायालय ने वादी के वाद में एकपक्षीय आज्ञा दिनांक 27–10–1993 पारित करते हुए प्राथमिक डिक्री पारित कर दी। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलार्थी ने प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष मियाद से बाधित अपील पेश की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 10–04–1997 द्वारा मियाद के बिन्दु पर अपास्त कर दी। प्रथम अपीलीय पारित उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण ने हस्तगत द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की है।

3. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स/प्रतिवादीगण ने बहस में बताया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय त्रुटिपूर्ण है। उनका कहना है कि वादी के दावे में अपीलार्थी की दिनांक 18-11-1991 को अनुपस्थिति दर्ज कर दी, जबकि अपीलार्थी को विचारण न्यायालय द्वारा कभी किसी प्रकार का कोई नोटिस या सूचना नहीं दी गई एवं वादी ने चुपचाप एकतरफा डिक्री प्राप्त कर ली। उनका आगे कहना है कि दिनांक 22-01-1994 को उसे पटवारी हल्का से जानकारी होने पर दिनांक 29-01-1994 को नकल प्राप्त कर अविलम्ब अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी थी, जिसमें देरी को क्षमा करने बाबत पर्याप्त तथा संतोषप्रद कारण अंकित कर दिए थे। इसके बावजूद भी अपीलीय न्यायालय ने बिना किसी आधार पर अपील को मियाद बाहर निर्धारित करने में भूल की है। उनका तर्क है कि हस्तगत मामले में प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील में गुणावगुण का बिन्दु सशक्त था, ऐसी स्थिति में न्यायालय को उदारता का रूख अपनाते हुए देरी को क्षमा करते हुए प्रकरण का अन्तिम निस्तारण गुणावगुण पर करना चाहिए था। अतः आक्षेपित निर्णय विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। उनका यह भी तर्क है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील को विधि व तथ्य दोनों बिन्दुओं पर सुनकर निर्णित करना चाहिए था। परन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी की अपील को मियाद के बिन्दु पर सरसरी तौर पर अस्वीकार कर अनियमितता की है। उनका आगे तर्क है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष मामले से जुडे समस्त दस्तावेज उपलब्ध होने के बावजूद भी न्यायालय ने उनके बाबत किसी प्रकार का अभिमत नहीं दिया है। जबकि विधि के सुस्थापित सिद्धान्त के अनुसार अपीलीय न्यायालय को पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन कर निष्कर्ष अंकित करना चाहिए। उक्त समस्त तथ्यात्मक व विधिक परिवेश में आक्षेंपित निर्णय नितान्त रूप से त्रुटिपूर्ण है। अंत में उन्होंने प्रस्तुत द्वितीय अपील स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय व डिक्री दिनांक 10-04-1997

एवं सहायक जिला कलक्टर अटरू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27-10-1993 को निरस्त करने की प्रार्थना की है।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स/वादीगण ने अपनी बहस में कहा कि मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्यायसंगत है, जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। उनका कहना है कि आदेशिका दिनांक 06-01-1992 द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध पूर्व में की गयी एकतरफा कार्यवाही अपास्त की गई है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी के अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय के समक्ष वकालतनामा भी पेश किया है। उनका तर्क है कि प्रतिवादी को जवाबदावा पेश करने का समुचित अवसर दिया गया है किन्तु प्रतिवादी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। उनका तर्क है कि प्रतिवादी को वादी द्वारा दायर दावे की सम्पूर्ण जानकारी थी। फलस्वरूप वादी का वाद एकपक्षीय डिक्री करने में न्यायालय ने कोई गलती नहीं की है। उक्त समस्त तथ्यात्मक परिवेश में प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने निर्णय पारित करने में किसी विधि का उल्लंघन नहीं किया है। सारांशतः आक्षेपित निर्णय विधि सम्मत होने के कारण उसमें द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। अन्त में उन्होंने द्वितीय अपील को खारिज कर आक्षेपित निर्णय को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

6. हमनें दोनों पक्षो के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों एवं डिक्री का अवलोकन व अध्ययन किया।

7. समस्त रेकार्ड का विधि की दृष्टि से विश्लेषण करने पर यह बिन्दु दृष्टिगोचर होता है कि विचारण न्यायालय की कार्यवाही में प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे तथा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा चाराजोही नहीं करना चाहा। उक्त क्रम में विचारण न्यायालय ने आदेशिका दिनांक 18-11-1991 से प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही संस्थित कर दी। उक्त एकपक्षीय को अपास्त करने बाबत प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सीपीसी पेश होने पर न्यायालय

ने उसे स्वीकार किया। कालान्तर में विचारण न्यायालय की कार्यवाही में दिनांक 12-1-1993 को पुनः प्रतिवादी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए तथा उसके एकपक्षीय कार्यवाही संस्थित कर दी गई। इसके बाद विचारण न्यायालय ने वादी के वाद में एकपक्षीय आज्ञा दिनांक 27-10-1993 पारित करते हुए प्राथमिक डिक्री पारित कर दी। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष मियाद से बाधित अपील पेश की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 10-04-1997 द्वारा मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कारणों को अविश्वसनीय बाबते हुए प्रश्नगत अपील को मियाद के बिन्दु पर सारहीन होना घोषित करते हुए अपास्त कर की है।

8. हमारे समक्ष विवाद का बिन्दु यह है कि क्या अपीलीय न्यायालय के समक्ष मियाद से बाधित अपील में देरी को माफ करने बाबत मियाद अधिनियम 1963 की धारा 5 के प्रार्थना पत्र में अंकित कारण सुस्पष्ट व सकारण थे अथवा नहीं? अधीनस्थ न्यायालय ने बहुत ही सरसरी तौर पर बिना समुचित आधार एवं विस्तृत कारण अंकित करते हुए अपीलार्थीगण की अपील को खारिज किया है। उक्त अपील को खारिज या स्वीकार करने के उन तथ्यात्मक एवं विधिक प्रावधानों का उल्लेख नहीं किया है जिस पर उक्त अपील का निर्णय आधारित है। अतः प्रथम अपीलीय न्यायालय को विचाराधीन अपील को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने से पूर्व यह स्पष्ट करना होगा कि उपरोक्त धाराओं के प्रावधानातंर्गत विचाराधीन अपील के अभिवचनों में ऐसा कोई तथ्यात्मक एवं विधिक सारवान तत्व विद्यमान है अथवा नहीं। तात्पर्य यह है कि प्रथम न्यायालय ने उक्त विचाराधीन अपील बाबत स्पष्ट (Speaking) एवं सकारण (Reasoned) आदेश पारित नहीं किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष मियाद से बाधित अपील में कारित विलम्ब को क्षमा करने बाबत अपीलार्थी ने मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र संलग्न किया है, परन्तु उक्त प्रार्थना पत्र बाबत न्यायालय ने किसी प्रकार का अभिमत व्यक्त नहीं किया है।

9. हमारे द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा पेश मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का अध्ययन किया है। अपीलार्थी द्वारा अंकित कारण ऐसे नहीं है, जिन पर किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं किया जा सकता है अथवा काल्पनिक प्रतीत होते हो। माननीय विभिन्न उच्चतर न्यायालयों द्वारा दी गई यह व्याख्या कि जिस प्रकरण में गुणावगुण का बिन्दु सशक्त हो तो ऐसे प्रकरण में न्यायालयों को मियाद के बिन्दु पर उदारता का रूख अपनाते हुए मामले को गुणावगुण पर विधिनुसार निस्तारित करना चाहिए। हमारी सुविचारित राय में प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन अपील में गुणावगुण का बिन्दु सशक्त होने के कारण कारित विलम्ब बाबत उदारता का रूख अपनाकर न्यायालय को विलम्ब को क्षमा करना चाहिए था। हमारे मत को निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्तों से बल मिलता हैः-

- माननीय उच्चतम न्यायालय ने रामकली देवी बनाम मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक शाहबाद व अन्य जे.टी. 1998(8) एस सी 529 में यह अभिनिर्धारित किया है कि -

"Constitution- Article 136-Dismissal of appeal on ground of limitation-High Court considering case on merits- No reasons for condonation of delay. Held that mertits of case can not be looked at without condoning delay. Appeal allowed and matter remanded for fresh decision on all points, including limitation."

- 2009 डी.एन.जे. (एस.सी) पेज 846 - उन्वानी कमिश्नर नगर परिषद भीलवाडा बनाम लेबर कोर्ट, भीलवाडा व अन्य -

Limitation Act, 1963- Section 5- Condonation of delay- Delay of 178 days in filling appeal explained properly- merits of the case also considered- High Court ought not to have gone into the merits of the case and required to seen only whether sufficient cause has shown for condonation of delay.- Held, orders set aside and appeal is restored for decision on merits.

-1987 ए.आई.आर. (एस.सी.) पेज1353 बी में न्यायालय को धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना को स्वीकार करने में लचीला रुख अपनाना चाहिए के बाबत् है। इसी प्रकार 1998 आर.आर.डी पृष्ठ 319 (उच्च न्यायालय) के विनिश्चय के अनुसार कि जहॉ प्रकरण में गुणावगुण के बिन्दु में सार हो, वहां मियाद का बिन्दु मायने नहीं रखता है। 2002 आर.आर.डी. पृष्ठ 137 (उच्च न्यायालय) के उद्धरण के अनुसार मियाद के बिन्दु पर उदार रुख अपनाया जाना चाहिए।

10. उपरोक्त विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं उक्तानुसार विवेचन के परिप्रेक्ष्य में आक्षेपित निर्णय का समर्थन करने का कोई ठोस आधार हमारे समक्ष उपलब्ध नहीं है। अतः आक्षेपित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने के कारण उसे अपास्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः हमारी विनम्र राय में प्रस्तुत अपील में सारवान व विधिक उपचार उपलब्ध होने के कारण इसे आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रकरण को पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रथम अपीलीय न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना विधि सम्मत है।

11. परिणामतः प्रस्तुत द्वितीय अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10-04-1997 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण को प्रथम अपीलीय न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि देरी के बाबत ऊपर उल्लेखित शीर्ष न्यायालयों के न्यायिक दृष्टान्तों के प्रकाश में विलम्ब को क्षमा करते हुए अपील को गुणावगुण पर विधिनुसार निस्तारित करना सुनिश्चित करें।

निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राम निवास जाट)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य